आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक.. ता0.................................... से.......................................तक

जिला – राँची

केस का प्रकार – **विविध वाद संख्या– 01/2021–22**

आदेश/तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
03.05.2021	आवेदक सुखदेव मुण्डा वो सीताराम मुण्डा पिता– स्व0 रूपचन्द मुण्डा साकिन– लालगंज, थाना– खेलगाँव, जिला– राँची द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है कि सहोदरा देवी पति सिदाम सिंह मुण्डा ने गलत तरीके से मेरे हिस्से की जमीन खाता सं0– 178, प्लॉट सं0– 1600 एवं 1599, कुल रकबा– 64 डीसमील जमीन का दाखिल खारिज वाद सं0– 273R27/2006–07 के द्वारा C.N.T. (46) का उल्लंघन कर अवैध रूप से पंजी II के भाग सं0– III, पेज सं0– 45 में जमाबंदी कायम कराई गई है। जिसे रद्द करने हेतु आवेदक द्वारा अनुरोध किया है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी कॉके, राँची।
03.11.2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों का जवाब प्राप्त है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– लालगंज, थाना सं0– 171, खाता सं0– 178 के खतियानी रैयत कीरपाल मुण्डा वल्द मनबोध मुण्डा कौम मुण्डा दर्ज है एवं खाता सं0– 179 के खतियानी रैयत गुलु मुण्डा वल्द गामे मुण्डा कौम मुण्डा दर्ज है। जाँचोपरान्त पाया कि सहोद्रा देवी पति– सीदाम सिंह मुण्डा द्वारा खाता सं0– 179 के खतियानी रैयत के वंशज तिरथ मुण्डा से परमीशन कराकर निबंधन कराया गया है। जबकि 178 के वंशज गुरदू मुण्डा 2008 ई0 तक जीवित रहे। सहोदरा देवी के बन्दोबस्त पदाधिकारी केश न0– 34/08 के अनुसार एवं C.N.T. Act (46) का उलंघन पाया गया है क्योंकि उपरोक्त मौजा– लालगंज थाना– सदर के अन्तर्गत आता है एवं सहोदरा देवी निबंधन सं0– 81, दिनांक– 07.01.1998 को अपना पता मौजा– टाटीसिलवे थाना– टाटीसिलवे दर्ज है। जो कि C.N.T. Act (46) का उलंघन है। दा0खा0 वाद सं0– 273R27/2006–07 जमाबंदी भोलुम सं0– III, पृष्ट सं0– 45 की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर राँची को भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अंचल अधिकारी कॉके, राँची। अंचल अधिकारी, कॉके, राँची।

Scanned with CamScanner

सेवा में
श्रीमान अंचलाधिकारी, कांके, राँची

विषय:- जमाबन्दी मौजा सालगांव भा० न० - III
पृष्ठ सं० 45 को रद्द करने के संबंध में,

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राप्त आवेदन का अवलोकन किया एवं राजस्व कागजातों का जाँच किया, जाँच के क्रम में पाया कि मौजा सालगांव थाना सं० 171 खाता नं. 178 के खतियानी रैयत कीपाल मुण्डा वल्द मनबोध मुण्डा कौम मुण्डा दर्ज है। एवं खाता नं० 179 के खतियानी रैयत गुरु मुण्डा वल्द गाड़े मुण्डा कौम मुण्डा दर्ज है। जाँचोपरान्त पाया कि रमोतुला देवी पति - लोदाम सिंह मुण्डा द्वारा 179 खाता के खतियानी रैयत के वंशज लिखवा मुण्डा से प्रमोशन (?) करवाकर निबंधन करवाया गया है जबकि 178 के वंशज गुरु मुण्डा 2008 ई० तक जीवित है। रमोतुला देवी के बन्दोबस्त पदाधिकारी केस नं० 34/08 के अनुसार एवं C.N.T Act का उल्लंघन पाया गया है क्योंकि उपरोक्त मौजा सालगांव थाना सदर के अन्तर्गत आता है एवं रमोतुला देवी निबंधन सं० 81 दिनांक 7/1/98 को अपना पता मौजा टटीसिलवे थाना टटीसिलवे दर्ज है। और कि CNT Act '46' का उल्लंघन है।

अतः दा० खारिज वाद सं० 273 R27/06-07 जमाबन्दी [illegible] रद्द करते हुए जमाबन्दी को [illegible] करने की कार्रवाई की जा सकती है

वापिस
17/8/21

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.23 17:00:16 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner